दिनांक : 08.07.2011

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा (पंचम तल) विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2011

क्रमांक – 2041/मप्रविनिआ/2011, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2) (जेडपी) सहपठित धारा 86(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 3042 दिनांक 09 नवम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 जिसे दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित किया गया है, को निम्नानुसार संशोधित/परिवर्धित करता है, अर्थात्:

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में प्रथम संशोधन/परिवर्धन

1. <u>संक्षिप्त शीर्षक, तथा प्रारम्भ</u> : **1.1** ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 (एआरजी–33 (I) (i), वर्ष 2011)''** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के ''राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. विनियम 4 में परिवर्धन :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010, जिसे एतद् पश्चात **प्रधान विनियम** कहा गया है, के **विनियम 4** के अन्तर्गत **कण्डिका 4.7** के पश्चात, निम्न कण्डिका अन्तर्स्थापित की जाएगी, अर्थात् :

''4.8 विद्युत क्रय अनुबंध(ों) [Power Purchase Agreement(s) - PPA) तथा विद्युत क्रय तथा चक्रण अनुबंध(ों) [Power Purchase and Wheeling Agreement(s)) के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया:

(क) विद्युत उत्पादक एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी से उनकी मशीन(ों) से उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु प्रस्ताव के साथ सम्पर्क करेगा । विद्युत क्रय के प्रस्ताव में कम्पनी/परियोजना संबंधी लागू विवरण, प्रपत्र सी (i) से (v) में शामिल किये जाएंगे जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) इसी के साथ–साथ, विद्युत उत्पादक उपरोक्त (क) में दर्शायेनुसार वांछित विवरणों के साथ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भी सम्पर्क करेगा, ताकि वे अन्तर्संयोजन अध्ययनों (interconnection studies) को संचालित कर सकें । यदि ऐसा किया जाना क्रियात्मक (feasible) पाया जाता है तो विद्युत उत्पादक को अनुमति प्रदान करते हुए उसे विस्तार/बे (Bay) की लागत तथा अन्य प्रभारों का प्राक्कलन आवेदन की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उन्हें अग्रेषित किया जाएगा जिसकी प्रतिलिपि एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी को पृष्ठांकित की जाएगी । दीर्घ–अवधि पहुंच के संबंध में, यदि प्रस्ताव तकनीकी रूप से क्रियात्मक पाया जाता है तो म.प्र. ट्रांसमिशन कम्पनी इसकी अनुमति आवेदन की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर प्रदान करेगी ।

(ग) तत्पश्चात्, जहां नवीन अन्तर्संयोजन (interconnection) किया जाना आवश्यक नहीं है एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी विद्युत अनुबंध/विद्युत क्रय तथा चक्रण अनुबंध, जैसा कि वे लागू हों, का निष्पादन विद्युत क्रय हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर करेगी । ऐसे प्रकरणों में, जहां नवीन अन्तर्संयोजन किया जाना आवश्यक हो, वहां अनुबंध वितरण अनुप्तिधारी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (जैसा कि वह लागू हो) से अनुमति की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निष्पादित किये जायेंगे ।

(घ) यदि उपरोक्त दर्शाई गई समय–सीमाओं का परिपालन नहीं किया जाता है तो आवेदक आयोग से सम्पर्क कर सकेगा ।

(ड.) विद्युत उत्पादक स्टेशनों के संबंध में आवेदन आयोग को इनके तकनीकी विवरण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10 (3) (ए) के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेगा ।

(च) एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी प्रत्येक त्रैमास के 15 दिवस के भीतर उक्त त्रैमास के दौरान विद्युत उत्पादक/विकास अभिकरण (Developer) के साथ निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों/विद्युत क्रय तथा चक्रण अनुबंधों के विवरण प्रस्तुत करेगी ।

3. विनियम 6 में संशोधन :

प्रधान विनियम की कण्डिका 6.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

''6.2 अनुबंधों के निष्पादन से पूर्व, विकास अभिकरणों को समस्त वांछित वैधानिक सम्मतियां (Statutory consents) प्राप्त की जाना अनिवार्य है । ऐसी सभी प्रकार की सम्मतियों की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि हेतु लागू होगी ।''

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव